कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, छपरा।

पत्रांक– 774 अनु० छपरा / दिनांक 08.10.2018
प्रेषकः–

कार्यपालक अभियंता
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, छपरा

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

विषयः– **राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के सिवान एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत कि0मी0 45.00 से 65.140 (खोरीपाकर से महम्मदपुर) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 14.098 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि रा0 उ0 प0 संख्या–101 के कि0मी0 45.00 से 65.140 (खोरीपाकर से महम्मदपुर) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है, जिसका DPR मंत्रालय को समर्पित किया जा चुका है। इस कार्य की निविदा शीघ्र होना है।

विदित है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार उक्त पथांश के दोनो तरफ Linear alignment में भूमि बाधा मुक्त होना चाहिए। इसलिए उक्त पथांश में Forest Clearance की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भूमि अपयोजन का प्रस्ताव (संलग्न) तैयार किया गया है। जिसमें पथांश कि0मी0 45.00 से 52.90 वन प्रमंडल, सिवान के अन्तर्गत आता है। उक्त पथांश के अन्तर्गत 5.53 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन किया जाना है जिसके अन्तर्गत कुल वृक्षों की संख्या–375 है तथा 52.90 से 65.140 वन प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत आता है, जिसके अन्तर्गत 8.568 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन किया जाना है। जिसके अन्तर्गत वृक्षों की संख्या–1216 है। इस प्रकार कि0मी0 45.00 से 65.140 के लिए कुल 14.098 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन किया जाना है तथा **कुल वृक्षों की संख्या–1591** है, जिसका पातन आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव की स्वीकृति देने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु0ः– प्रस्ताव आठ प्रतियो में।

विश्वासभाजन

08/10/2018

कार्यपालक अभियंता
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, छपरा।